

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी—

शिव चरण मीना
आर.ए.एस.
तारीख निर्णय
16.01.2023

मिसल नम्बर
54 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022

तारीख दायरा
20.07.2022

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
बनाम
.....आवेदक

- 1—श्री निमेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री जुगल किशोर गुप्ता एफ.बी.ओ. मैसर्स सिंहल किराणा स्टोर सुरेली रोड अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक राज. निवासी गर्ल्स स्कूल के पास खातियों का मोहल्ला अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक राज.
- 2—श्री ईश्वर कुमार मालपानी पुत्र श्री मदन लाल मालपानी नॉमिनी मैसर्स माहेश्वरी ब्लैण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. जी-1, 35/37, उद्योग विहार जैतपुरा इण्ड. एरिया जयपुर राज. निवासी एम-40, महेश कॉलोनी लक्ष्मी मन्दिर के पास टोंक फाटक जयपुर
- 3—मैसर्स माहेश्वरी ब्लैण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. जी-1, 35/37, उद्योग विहार जैतपुरा इण्ड. एरिया जयपुर

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

- 1—पेरोकार सरकार।
- 2—अप्रार्थी श्री ईश्वर कुमार मालपानी एवं श्री प्रमोद कुमार शर्मा एड0।

:-निर्णय:-

दिनांक 16.01.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.02.2022 को समय 12:41 पी.एम पर मैसर्स सिंहल किराणा स्टोर सुरेली रोड अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री निमेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री जुगल किशोर गुप्ता मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री निमेश कुमार गुप्ता ने स्वयं को मैसर्स सिंहल किराणा स्टोर सुरेली रोड अलीगढ तह. उनियारा जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री निमेश कुमार गुप्ता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ हल्दी पावडर रिचा स्पाईसेस एगमार्क ब्राण्ड (Turmeric Powder Richa Spices Agmark Brand) दुकान की रैक में 100-100 ग्राम के 50 नग मूल पैक रखे हुये थे जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री निमेश कुमार गुप्ता को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर प्रय मोहर


किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह हल्दी पावडर रिचा स्पाईसेस एगमार्क ब्राण्ड (Turmeric Powder Richa Spices Agmark Brand) जिसके बैच नं0 27 एवं पैकिंग की दिनांक 01/22 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्य किया जा रहा है, 100-100 ग्राम के 20 नग कुल मात्रा 2 किलोग्राम खरीदे, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा हल्दी पावडर रिचा स्पाईसेस एगमार्क ब्राण्ड (Turmeric Powder Richa Spices Agmark Brand) 100-100 ग्राम के 20 नग में से 100-100 ग्राम के 5-5 नग के नियमानुसार चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3085 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3085 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज. जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर नमूना क्य करते समय श्री निमेश कुमार गुप्ता मैसर्स सिंहल किराणा स्टोर सुरेली रोड अलीगढ तह. उनियारा जिला टॉक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स माहेश्वरी ब्लैण्ड इण्डस्ट्रीज प्रा. लि. जी-1, 35/37, उद्योग विहार जैतपुरा इण्ड. एरिया जयपुर का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्य करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/809 दिनांक 07.04.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./891/एक्ट/2022/955 दिनांक 16.03.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्य किया गया हल्दी पावडर रिचा स्पाईसेस एगमार्क ब्राण्ड (Turmeric Powder Richa Spices Agmark Brand) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया जिसकी सूचना अप्रार्थीगण को भिजवायी गयी। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।




अतिरिक्त जिला माजस्ट्रेट
टॉक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से निर्माता फर्म के प्रतिनिधि श्री ईश्वर कुमार मालपानी मय अभिभाषक श्री प्रमोद कुमार शर्मा उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में अपना जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस हल्दी पावडर रिचा स्पाईसेस एगमार्क ब्राण्ड (Turmeric Powder Richa Spices Agmark Brand) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया हल्दी पावडर रिचा स्पाईसेस एगमार्क ब्राण्ड (Turmeric Powder Richa Spices Agmark Brand) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-Branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 16.01.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(शिव चरण मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0